संख्या- ³। /2016/648/पॉच-9-2016-9(127)/12 टी0सी0

प्रेषक,

अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, 30प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 🤾 🗸 मई, 2016

विषय:-उत्तर प्रदेश हेल्थ मैनेजमेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (यू0पी0एच0एम0आई0एस0) के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा के सम्बन्ध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-144/पाँच-9-2015-9(127)/12, दिनांक 27.01.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा माह मार्च, 2015 से भारत सरकार की वेब आधारित हेल्थ मैनेजमेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (यू0पी0एच0एम0आई0एस0) के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया था। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन की स्थिति की समय-समय पर विभाग द्वारा की गयी समीक्षा के दौरान पाया गया कि एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रम व अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु पर्याप्त ऑकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अतएव शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया था कि राज्य स्तर पर प्रचलित समस्त रिपोर्टिंग प्रपत्रों एवं पोर्टल को एकीकृत कर पेपरलेस रिपोर्टिंग व्यवस्था संचालित की जाये।

2- तत्क्रम में स्वास्थ्य विभाग के समस्त रिपोर्टिंग प्रपत्रों एवं राज्य आधारित पोर्टलों की समीक्षा करके यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर स्वास्थ्य विभाग के समस्त स्तरों तथा कार्यक्रमों के ऑकड़ों को एकत्र करने की व्यवस्था बनायी गयी है। शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा अब इसी वेब आधारित यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के आधार पर माह जून, 2016 से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासंनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त व्यवस्था के प्रभावी होने के उपरान्त माह मई, 2016 से (माह अप्रैल, 2016 की रिपोर्टिंग) विद्यमान पोर्टलों व प्रपत्रों जिन पर रिपोर्टिंग न करके अब जिन पोर्टलों व प्रपत्रों पर सूचनायें संकलित की जानी हैं, उसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया जा रहा है:-

विद्यमान पोर्टलों व प्रपत्रों जिन पर रिपोर्टिंग नहीं की जानी है	जिन पोर्टलों पर अब डाटा फीडिंग की जानी
राज्य आधारित पोर्टल या मैनुअल रिपोर्ट 1.हेल्थ रिपोर्ट कार्ड (एच0आर0सी0) पोर्टल 2.अन्य मैनुअल रिपोर्टिंग जैसे एम0पी0आर0 के स्त्रवार प्रपत्र 3.अन्य एक्सेल आधारित रिपोर्ट जैसे- जे0एस0एस0के0, के0पी0आई0, शहरी विकास, टेलीग्राम (परिवार कल्याण), एन0आर0सी0 इत्यादि।	1.यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल 2.भारत सरकार द्वारा प्रचलित पोर्टल 1)एच0एम0आई0एस0 2)एम0सी0टी0एस0 3)राष्ट्रीय कार्यक्रमों से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा प्रचलित पोर्टल जैसे-निश्चय (डाट्स), आई0डी0एस0पी0 संचारी रोग (सी0बी0एच0आई0), अंधत्व निवारण कार्यक्रम पोर्टल, जन्म एवं मृत्यु पंजीयन पोर्टल इत्यादि।

4- यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर मासिक आधार पर (प्रत्येक माह की 21 तारीख से 20 तारीख तक) ऑकड़ों की फीडिंग निम्नलिखित समय-सारिणी के अनुसार की जायेगी:-

गतिविधि	समय-सीमा	उत्तरदायित्व	टिप्पणी
1.डाटा संकलन एवं डाटा इन्ट्री 2.एच0एम0आई0एस0 डाटा को यू0पी0 एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करना।	30 तारीख तक	सी0एम0एस0, सी0एम0ओ0 एवं एम0ओ0आई0सी0 सी0एम0एस0, सी0एम0ओ0 एवं एम0ओ0आई0सी0	आफलाइन एक्सेल शीट (भारत सरका द्वारा निर्धारित प्रपत्र) पर इन्टी करते
3.डाटा वेलिडेशन	अगले माह की 01 तारीख तक		विस्तृत वेलिडेशन शीट यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल से तैयार करके वेलिडेशन समिति द्वारा समीक्षा उपरान्त यथावश्यक सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.एम0पी0आर0 तैयार करना	अगले माह की 01 तारीख तक	जिला अधिकारी	नोडल	यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल से एम0पी0आर0 तैयार करके सभी सम्बन्धित को प्रेषित किया जाना।
5.एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर डाटा अपलोड करना।	अगले माह की 05 तारीख तक	जिला अधिकारी	नोडल	वेलिडेशन समिति द्वारा समीक्षा के उपरान्त अन्तिम एक्सेल शीट को एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड
6.मासिक एम0ओ0आई0सी0 समीक्षा बैठक	अगले माह के दूसरे सप्ताह तक	जिला अधिकारी	नोडत	यू0पी0एच0एम0आई0एस0 डेटा/डेशबोर्ड/ बुलेटिन के आधार पर बैठक आयोजन।

- 5- इस प्रकार से यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर डाटा इन्ट्री एवं अन्य पोर्टलों की सूचना प्रत्येक माह की 30 तारीख तक अपलोड/इम्पोर्ट की जायेगी। इसके पश्चात् आगामी माह की 01 तारीख तक वैलिडेशन समिति की बैठक करवाकर डाटा को वैलिडेट किया जायेगा, जिसके उपरान्त एम0पी0आर0 पोर्टल के माध्यम से तैयार की जा सकेगी, जिसे किसी भी फोरम (अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं निदेशालय) स्तर पर समीक्षा हेतु उपयोग किया जा सकेगा। (माह अप्रैल, 2016 की एच0एम0आई0एस0 बुलेटिन माह मई, 2016 से यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से तैयार की जायेगी।)
- 6- उल्लेखनीय है कि यू०पी०एच०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिला एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों (डी०पी०एम०/ए०आर०ओ०) का प्रशिक्षण सिफ्सा के माध्यम से माह फरवरी-मार्च, 2016 में पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही पोर्टल से सम्बन्धित यू०आर०एल०, यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड दिनांक 30.04.2016 की बैठक में आपको उपलब्ध करा दिये गये हैं, जिसे इस पत्र के साथ संलग्नक-1 में पुन: आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित किया जा रहा है। पोर्टल से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

क्रमाक	नाम	मोबाइल नम्बर	ई-मेल
1.	श्री अरूप कुमार दास	7753995331	arup.das@ihat.in
2.	श्री आनन्द भूषण त्रिपाठी	7753995338	anand.tripathi@ihat.in

7- उक्त पोर्टल पर समस्त ऑकड़ों को भरे जाने के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि जनपद स्तर व ब्लॉक स्तर पर सभी आवश्यक संसाधन यथा-कम्प्यूटर, आपरेटर, प्रिटिंग हेतु पर्याप्त मात्रा में कागज, प्रिन्टर, इंटरनेट कनेक्शन, विद्युत का वैकल्पिक प्रबन्ध आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस हेतु जिला अस्पताल स्तर पर सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा अन्य सभी इकाइयों हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त ऑकड़ों के

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संकलन हेतु पर्याप्त संख्या में प्रपत्रों की छपाई कराकर उचित स्तर पर उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। इस हेतु बजट की व्यवस्था सुसंगत मद से की जा सकती है। समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों का यह दायित्व होगा कि वे उक्तानुसार पोर्टल पर ऑकड़े भरे जाने व ऑकड़ों की गुणवत्ता की मासिक समीक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही संसाधनों की उपलब्धता की भी त्रैमासिक समीक्षा स्निश्चित करें।

8- अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेपरलेस रिपोर्टिंग व्यवस्था के तद्नुसार क्रियान्वयन हेतु समय-सारिणी के अनुसार डाटा फीडिंग/अपलोड/इम्पोर्ट इत्यादि की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए माह मई, 2016 (माह अप्रैल, 2016 की रिपोर्टिंग) से पोर्टल पर फीडिंग करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी अपेक्षा है कि डाटा फीडिंग में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए प्रत्येक माह फीड किये गये डाटा का परीक्षण वैलिडेशन समिति के माध्यम से अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।

तद्नुसार उपरोक्त दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भवदीय,

> (अरविन्द कुमार) प्रमुख सचिव।

संख्या- 3 \ (1)/2016/648(1)/पॉच-9-2016, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- अधिशासी निदेशक, उ०प्र० तकनीकी सहयोग इकाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 6- समस्त चिकित्सा अनुभाग।
 - 7- गार्ड फाइल/समन्वय सहायक।

वाशा स,

(शशिकान्त शुक्ल)

अनु सचिव।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।